झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड गृह रक्षक विधेयक, 2005

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित
2005

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड गृह रक्षक विधेयक, 2005

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित
2005

झारखण्ड गृह रक्षक विधेयक, 2005

विषय सूची

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. परिभाषाएँ।
3. गृह रक्षकों का विधान।
4. गृह रक्षकों को कर्त्तव्य में बुलाना।
5. पुलिस पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रण।
6. गृह रक्षकों को प्राप्त शक्ति एवं संरक्षण।
7. गृह रक्षकों पर नियंत्रण।
8. सेवावधि एवं सेवामुक्ति।
9. शास्तियाँ।
10. वर्दी।
11. लोक सेवक के रूप में गृह रक्षक।
12. नियमावली बनाने की शक्ति।
13. स्थायी आदेश।
14. व्यावृति।

प्रथम अनुसूची।

द्वितीय अनुसूची।

झारखण्ड राज्य गृह रक्षक विधेयक, 2005

राज्य के आंतरिक सुरक्षा में सहायता हेतु पुलिस के सहायक के रूप में; हवाई हमला, आगजनी, बाढ़, संक्रामक बीमारी आदि जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में जनता की सहायता हेतु; आवश्यक सेवाओं यथा परिवहन, पायोनियर एवं इंजिनियरिंग सेवाओं, फायर ब्रिगेड, नर्सिंग एवं प्राथमिक उपचार, जल एवं विद्युत आपूर्ति के पुनर्स्थापन इत्यादि हेतु संस्थागत कार्यशील ईकाई के रूप में; साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने एवं समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण देने में प्रशासन को सहयोग देने हेतु; सामाजिक, आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों यथा प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, विकास योजनाएँ तथा ऐसे ही अन्य उपयोगी कार्यों के लिए, जहाँ भी आवश्यक समझा जायेगा कि किसी स्वयंसेवक संस्था की सेवा आवश्यक है, इस हेतु झारखण्ड राज्य गृह रक्षक की स्थापना के निमित्त विधेयक।

भारत गणराज्य के छप्पनवे वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –</u>

(1) यह अधिनियम झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार, समय–समय पर, यह निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के सम्पूर्ण या कोई प्रावधान क्षेत्र विशेष में एवं किसी तिथि विशेष से, जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित हो, लागू होंगे तथा इसी प्रकार उस अधिसूचना को रद्द या इसमें संशोधन किया जा सकेगा।

2. <u>परिभाषाएँ –</u> इस अधिनियम में, जबतक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,

(क) "गृह रक्षक" से अभिप्रेत है, वैसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नामांकित किया गया है।

(ख) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली में यथा विहित।

3. <u>गृह रक्षकों का विधान –</u>

(1) अधिनियम की धारा 1 के उप धारा (3) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए राज्य सरकार जैसा विहित हो उस प्रकार से गृह रक्षकों का गठन कर सकेगी जो ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेगा जो लोगों की सुरक्षा एवं जान–माल के संरक्षण हेतु झारखण्ड राज्य के किसी भी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधान और इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अन्तर्गत सौंपा गया हो।

(2) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, झारखण्ड राज्य का गृह रक्षक एक एकल फोर्स समझा जाएगा और इसके सदस्य औपचारिक रूप से नामांकित होंगे, तथा इसमें अधिकारियों एवं व्यक्तियों की संख्या, उनकी अर्हत्ताएँ और प्रशिक्षण एवं सेवा शर्त्ते वही होगी जैसा कि विहित किया जायेगा।

(3) गृह रक्षक को नामांकन होने पर, प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करनी होगी और वे द्वितीय अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में विहित पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगा नामांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इसके फलस्वरूप प्रमाण पत्र धारक में गृह रक्षक को प्राप्त शक्तियाँ और सुविधाएँ निहित होंगी।

4. <u>गृह रक्षकों को कर्त्तव्य पर बुलाना –</u>

उपायुक्त के क्षेत्राधिकार का कोई क्षेत्र जहाँ यह अधिनियम प्रवृत है, उपायुक्त किसी भी गृह रक्षक को विहित प्रक्रिया के आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली के संगत कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्त्तव्य पर बुला सकेंगे।

5. <u>पुलिस पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रण –</u>

धारा 4 के अधीन पुलिस बल के सहयोग हेतु जब एक गृह रक्षक कर्त्तव्य पर बुलाया जायेगा तो इस तरीके एवं उस हद तक पुलिस पदाधिकारी के नियंत्रण में होगा जैसा विहित किया जायेगा।

6. <u>गृह रक्षकों को प्राप्त शक्तियाँ एवं संरक्षण –</u>

(1) इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों के आलोक में जब एक गृह रक्षक को धारा–4 के अधीन पुलिस फोर्स के सहायतार्थ कर्त्तव्य पर बुलाया जायेगा, उसे वही शक्तियाँ, सुविधाएँ एवं संरक्षण हासिल होंगे, जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस पदाधिकारी के होंगे।

(2) गृह रक्षक के रूप में कर्त्तव्य निर्वहन हेतु उसके द्वारा किये गये किसी कार्य या, इस रूप में तात्पर्यित किसी कार्य, के विरूद्ध कोई भी अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा, जबतक कि जिला दंडाधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में होम गार्ड गठित हो, की पूर्वानुमति प्राप्त न कर ली गई हो।

7. <u>गृह रक्षकों पर नियंत्रण –</u>

किसी भी क्षेत्र के लिए गठित गृह रक्षक पर सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति उपायुक्त में निहित होगी और उन्हीं के द्वारा जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी के सहयोग से लागू की जा सकेगी, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में हो जहाँ गृह रक्षक गठित हैं। जिला

समादेष्टा, उक्त उतरदायित्व का निर्वहन किसी विशेष कर्त्तव्य निर्वहन हेतु विहित पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में एवं राज्य के महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी के सामान्य पर्यवेक्षण में करेंगे।

8. सेवावधि एवं सेवामुक्ति –

(1) इस निमित्त निर्मित नियमावली की शर्त्तों के अधीन, एक गृह रक्षक को चार वर्षों तक के लिए (प्रशिक्षण में बिताई गयी अवधि सहित) राज्य सरकार को सेवा देनी होगी तथा उन्हें किसी भी समय कर्त्तव्य पर बुलाया जा सकेगा, किन्तु उनकी उम्र 54 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(2) उप धारा–1 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर प्रत्येक गृह रक्षक गृह रक्षा वाहिनी से सेवा मुक्ति के योग्य हो जायेगा; परन्तु ऐसा व्यक्ति इस तरह योग्य होने के पूर्व ऐसे पदाधिकारी द्वारा एवं ऐसी शर्त्तों के अधीन जैसा विहित किया जाय सेवामुक्त किये जा सकेंगे।

(3) उप धारा–2 के अधीन अपनी सेवामुक्ति के दस दिनों के अन्दर, गृह रक्षक को प्रदत्त नामांकन प्रमाण पत्र प्रत्यर्पित करना होगा।

9. शास्तियाँ –

(1) एक गृह रक्षक के –

(क) जब वह धारा–4 के अधीन कर्त्तव्य पर बुलाने पर स्वयं हाजिर न हो, या

(ख) बिना उपयुक्त कारण के कर्त्तव्य के दौरान किसी भी नियम संगत आदेश या कर्त्तव्य निर्वहन हेतु उसको दिये गये निदेश के इंकार करने पर या गृह रक्षक संगठन के सदस्य के रूप में कार्य निष्पादन में असफल रहने पर, या

(ग) कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने पर, या

(घ) कायरता के दोषी होने पर या उसकी अभिरक्षा के किसी व्यक्ति की अवैध शारीरिक हिंसा करने पर,

(ङ) धारा 3 के उप धारा (3) के अधीन प्रदत्त नामांकन संबंधी प्रमाण पत्र को दस दिनों के अन्दर समर्पित नहीं करने में असफल रहने के दोष सिद्ध किए जाने पर उसे कैद की सजा जिसकी अवधि तीन माह तक बढ़ाई जा सकेगी या जुर्माना जिसे पाँच सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों सजा एक ही साथ दी जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

10. वर्दी –

गृह रक्षक ऐसा वर्दी पहनेगा जैसा कि विहित किया जायेगा।

11. लोक सेवक के रूप में गृह रक्षक –

गृह रक्षक जो इस अधिनियम के अधीन कार्यों का निर्वहन कर रहा हो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45 वाँ) की धारा–21 के अर्थ में एक लोक सेवक समझा जाएगा।

12. नियमावली बनाने की शक्ति –

(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशित शर्त्तों के अध्यधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियमावली बना सकेगी।

(2) खास तौर पर, और पूर्वोक्त शक्तियों की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी नियमावली में निम्नांकित विषयों में से सभी या किसी का उपबंध या विनियमन किया जा सकेगा, यथा –

(क) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित विहित किए जानेवाले सभी मामले।

(ख) गृह रक्षकों के संगठन, नियुक्ति अर्हताएँ, सेवा शर्त्तें, कर्त्तव्य, अनुशासन, शस्त्र सज्जा, कपड़ों एवं वर्दी तथा सेवा हेतु उन्हें बुलाने या प्रशिक्षण में भेजने संबंधी रीति, और

(ग) धारा 6 के अधीन प्रयोज्य किसी शक्ति का गृह रक्षक द्वारा प्रयोग में लाना।

13. स्थायी आदेश –

तथापि महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी गृह रक्षक बल के दैनंदिन प्रशासन संबंधी विषयों पर स्थायी आदेश निर्गत कर सकेगा।

14. व्यावृति –

बिहार होमगार्ड अधिनियम, 1947 के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई कार्रवाई, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 के आलोक में मान्य समझे जायेंगे, मानो उक्त अधिनियम उस तिथि को प्रवृत था जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई की गई थी।

———————

प्रथम अनुसूची

{देखें, धारा 3 का उपधारा (3)}

मैं, ..., पुत्र .....

..... का निवासी हूँ, शपथपूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मैं नामांकन की तिथि से बारह माह की अवधि तक; जिसमें प्रशिक्षण में बितायी गयी अवधि सम्मिलित है (जिसे राज्य सरकार के निर्णयानुसार बढ़ाया जा सकता है), सच्ची निष्ठा के साथ गृह रक्षक के सदस्य के रूप में सेवा करूँगा। मैं पुनः शपथपूर्वक कहता हूँ कि इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों की अवधि तक कर्त्तव्य पर बुलाये जाने पर कभी भी एवं कहीं भी गृह रक्षक के सदस्य के रूप में सेवा करूँगा। मैं अपनी सारी कुशलता एवं ज्ञान के साथ गृह रक्षक सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करूँगा।

हस्ताक्षर

पता – .....

.....

.....

द्वितीय अनुसूची

{देखें, धारा 3 (3)}

नामांकन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र

नाम ....., पुत्र .....

गृह पता .....

को झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम, 2005 की धारा 3 (3) के अधीन गृह रक्षक के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है। जब विधि के अनुसार कर्त्तव्य पर हो, उन्हें वही शक्तियाँ, सुविधाएँ एवं संरक्षण हासिल होंगे, जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस पदाधिकारी के होंगे।

नामांकन की तिथि .....

स्थान .....

दिनांक .....

विहित पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में विधि–व्यवस्था, आपदा प्रबंधन एवं जनोपयोगी सेवाओं के संस्थापन में स्वयंसेवकों की सेवा अपरिहार्य हो जाती है। ये स्वयंसेवक पूर्व से प्रशिक्षित हों तथा सहज रूप से उपलब्ध हों इसके लिए गृह रक्षक (होम गार्ड) जैसी स्वयंसेवक संस्था का राज्य में होना आवश्यक प्रतीत होता है।

इस विधेयक में उक्त प्रावधान किये गये हैं एवं उक्त प्रावधानों को अधिनियमित कराना इस विधेयक का अभीष्ट है।

(सुदेश कुमार महतो)
भार–साधक सदस्य

झा०रा०मु० राँची (विधि)18(A)--175--14-12-2005 ।